

कार्यालय कलेक्टर जिला विदिशा (म.प्र.)

विदिशा, दिनांक 30/7 /2019

:: नियुक्ति प्रक्रिया एवं शर्तें ::

1. भर्ती किये जाने वाले पदों का विवरण :-

क्रं.	संविदा पद का नाम	मानदेय/राशि प्रतिमाह	स्वीकृत पद संख्या
	कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	22770/-	10

2. आरक्षण तालिका :-

क्रं.	पदनाम	कुल पद संख्या	पदों का वर्गीकरण					
			अनारक्षित		अ.जा.		अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	ओपन
1	कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	10	03	02	02	01	01	01

कार्यालय सहायक -सह-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) पर हेतु शैक्षणिक व्यवहारिक एवं तकनीकी योग्यता

1. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता।
2. डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी।
3. दस्तावेजों की स्केनिंग।
4. एम.एस.-ऑफिस तथा डाटावेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव।
5. शैक्षणिक योग्यता 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।
6. न्यूनतम तकनीकी योग्यता सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण।
7. पात्र आवेदकों की सूची को सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड में प्राप्त अंको के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी :-

- CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी का और दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्ही अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो।
- यदि 02 या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगे तो हिन्दी टाईपिंग के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।
- हिन्दी टायपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाईपिंग के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा।
- मेरिट में दो आवेदकों को कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी, हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी।

संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्तें

संविदा अवधि:-

01. संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी।
02. 01.01.2019 को 18 वर्ष से 40 वर्ष तक (अनु.जा., अनु.जनजा., अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
03. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

मानदेय/पारिश्रमिक:-

04. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन 22770/- मात्र देय होगी।
05. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।
06. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

अवकाश:-


07. वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 15 चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश का उपभोग जिला, कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृत के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थित की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

ई.पी.एफ. कटौती:-

08. ई.पी.एफ. कटौती के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

अन्य:-

09. इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा।
10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशील होगी। इस अवधि में यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनको कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सके। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे।
13. अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
14. मध्यप्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।
15. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक एक माह का पूर्व नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एवं माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।
(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)


अपर कलेक्टर
जिला-विदिशा